IV 9/2018

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

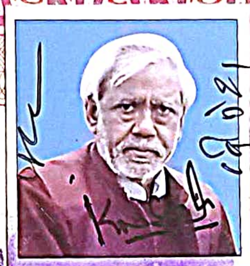

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 427318

सूरज रविशंकर एजुकेशनल ट्रस्ट, नवापुरा, बलिया (उ० प्र०)

कैम्प कार्यालय – लेन नं.1,कृष्णा नगर, सामनेघाट, लंका, वाराणसी (उ० प्र०) हम डॉ. काशी नाथ सिंह पुत्र स्व. इन्द्रासन सिंह, निवासी ग्राम – नवापुरा जिला – बलिया, विनय कुमार सिंह पुत्र डॉ. काशी नाथ सिंह, ग्राम – नवपुरा जिला –बलिया श्रीमति विमला सिंह पत्नी डॉ. काशी नाथ सिंह, कृष्णा नगर, सामने घाट – लंका जिला – वाराणसी श्री मती रेनू सिंह पुत्री श्री अवधेश सिंह, श्रीराम विहार कालोनी जिला – बलिया श्रीमती विजेता सिंह पत्नी मुकेश कुमार सिंह ग्राम व पोस्ट वासुदेव पुर जिला – गाजीपुर रू0 1000/– (एक हजार) प्रत्येक व्यक्ति दान कर उस रूपये से सूरज रविशंकर एजुकेशनल ट्रस्ट, नवापुरा जनपद – बलिया (उ० प्र०) की स्थापना करता हूँ तथा यह ट्रस्ट नियुक्ति पत्र लिख रहा हूँ। जनपद एवं क्षेत्र मे शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा क्षेत्र एवं ज़नपद।

KNSingh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 014847

के युवाओं को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी, प्रबंध, प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेण्टर, फार्मेसी कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज, एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रस्ट की स्थापना किया गया है। कालान्तर में ट्रस्ट द्वारा इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज, नवापुरा, बलिया में संचालित होगा और भिन्न–भिन्न स्थानों पर शिक्षण संस्थाये यानि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा शिक्षा, सी. वी. सी. एस. ई. विद्यालय, आई.सी.एस.ई. विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय विधि महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंध संस्थान, आई. टी. आई., पालीटेक्निक, इन्जीनियरिंग, आयेर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेण्टर, फार्मेसी कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज एवं रोजगारपरक शिक्षा आदि की स्थापना, संचालन एवं प्रबंध किया जायेगा। हम डॉ. काशीनाथ सिंह पुत्र स्व. इन्द्रासन सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट – नवापुरा जिला – बलिया, विनय कुमार सिंह पुत्र डॉ. काशी नाथ सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट – नवापुरा, जनपद – बलिया, श्रीमती विमला सिंह सुपुत्री स्व. बैजनाथ सिंह, कृष्णा नगर, सामने घाट लंका, वाराणसी, रेनु सिंह सुपुत्री श्री अवधेश सिंह, श्री राम विहार कालोनी, बलिया, श्रीमती विजेता सिंह पत्नी मुकेश सिंह ग्राम व पोस्ट -· वासुदेवपुर, गाजीपुर इस ट्रस्ट के संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी होगे। संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी द्वारा अपने जीवन काल मे ही अपना उत्ताराधिकारी नामित कर दिया जायेगा जो कि उक्त संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी के निधन या पद त्याग के उपरान्त उसके स्थान पर आजीवन ट्रस्टी होगा। यदि किसी संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी द्वारा अपने जीवन काल मे अपना अत्ताराधिकारी नामित नही किया गया है, ता शेष जीवित संस्थापक/आजीवन ट्रस्टीयों द्वारा मृतक संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी के उत्तराधिकारियों मे से किसी एक को आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया जायेगा। इस तरह नियुक्त संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी के

KNSingh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 014848

भी वह समस्त अधिकार/दायित्व होगें, जो कि वर्तमान संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी के होगें। ट्रस्ट में यदि किसी परिस्थितियों में विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाने मे प्रथम ट्रस्टी डॉ. काशी नाथ सिंह को एक मात्र अधिकार होगा।

कालान्तर में ट्रस्ट द्वारा इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज, नवापुरा, बलिया में संचालित होगा तथा स्थापित होने वाले अन्य शिक्षा केन्द्र तथा संस्थानों के स्थापना हेतु भूमि आदि अन्य संसाधनों की व्यवस्था संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी अपने स्रोत या चन्दा आदि से करेगें।

सूरज रविशंकर एजुकेशनल ट्रस्ट, नवापुरा जनपद – बलिया (उ0 प्र0) का मुख्य कार्यालय ग्राम व पोस्ट – नवापुरा जनपद – बलिया (उ0 प्र0) होगा तथा कैम्प कार्यालय मुहल्ला – कृष्णा नगर, सामने घाट पोस्ट – लंका जनपद– वाराणसी होगा तथा आवश्यकतानुसार ट्रस्ट पुरे देश में अपनी शाखयें तथा क्षेत्रीय या स्थानीय कार्यालय खोलकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर सकता है तथा अपनी गतिविधियाँ संचालित कर सकता है।

ट्रस्ट तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षा केन्द्रो, प्रशिक्षण केन्द्र एवं संस्थानों तथा इन्द्रासन मेमोरियल जनसहयोग कालेज, नवापुरा, बलिया (उ0 प्र0) के संचालन एवं प्रबंधन हेतु संस्थापक/ आजीवन द्वारा ट्रस्टी द्वारा आपसी सहमति से 20 ट्रस्टीयों को नियुक्त किया जायेगा।

ट्रस्टीयों के नियुक्ति के सम्बंध में संस्थापक/आजीवन ट्रस्टीयों का निर्णय अन्तिम होगा। चयन सदस्यता के सम्वंध में संस्थापक/आजीवन ट्रस्टीयों के नियर्णया के विरूद्ध किसी न्यायालय मे कोई वाद योजित नही किया जा

KNSingh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 014849

सकता है। इस तरह नियुक्त ट्रस्टी/सदस्यों का कार्यकाल उनके चुने जाने की तिथि से पॉच वर्षो का होगा तथा कार्यकाल समाप्त/पूर्ण होने की स्थिति में , उनके स्थान पर ट्रस्टी/सदस्य के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही, संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा। कोई भी ट्रस्टी/सदस्य कार्यकाल समाप्त/पूर्ण होने के पश्चात् संस्थापक/आजीवन ट्रस्टीयों द्वारा पुनः पॉच वर्षो के लिए ट्रस्टी/सदस्य चयनित किया जा सकता है। संस्था विरोधी कार्य करने पर बोर्ड के चयनित सदस्यों को, संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी तथा 20 ट्रस्टीयों को मिलाकर, कुल 25 व्यक्तियो के ट्रस्ट बोर्ड द्वारा अपने ट्रस्टीयों/सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/सचिव, उपप्रबंधक/उपसचिव तथा कोषाध्यक्ष पॉच पदाधिकारी चयनित किया जायेगा, जिका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक पद पर संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी में से ही कोई चयनित हो सकता है। प्रथम ट्रस्टी/पदाधिकारी की नियुक्ति करते हुए निम्नवत् ट्रस्ट बोर्ड गठित किया जाता है:-

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	श्रीमती विमला सिंह	स्व. बैजनाथ सिंह	कृष्णा नगर, सामने घाट, लंका, वाराणसी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रेनू सिंह	श्री अवधेश सिंह	श्रीराम विहार कालोनी, बलिया	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. काशी नाथ सिंह	स्व. इन्द्रासन सिंह	ग्रा. व पो. –नवापुरा, बलिया	प्रबंधक/सचिव
4.	श्री विनय कुमार सिंह	डॉ. काशी नाथ सिंह	ग्रा. व पो. –नवापुरा, बलिया	उपप्रबंधक/उपसचिव
5.	श्रीमती विजेता सिंह	श्री मुकेश कुमार सिंह	ग्रा.– वासुदेवपुर पो. – वासुदेवपुर जि. – गाजीपुर	कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 014850

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
6.	डॉ. प्रमात्मा नंद गुप्त	स्व. हरीशंकर प्रसाद गुप्त	चितबडा गॉव, बलिया	सदस्य
7.	श्रीमती विनीता सिंह	डॉ. चन्द्रमान सिंह	ग्रा. व पो. – भवानीपुर, गाजीपुर	सदस्य
8.	श्री धर्म प्रताप सिंह	श्री राणा प्रताप सिंह	ग्रा. व पो. – रतनपुरा, मऊ	सदस्य
9.	श्री राणा प्रताप सिंह	स्व. राम शकल सिंह	ग्रा. व पो. – रतनपुरा, मऊ	सदस्य
10	श्री कामता सिंह	स्व.। सूरज सिंह	ग्रा. व पो. – मिढा, बलिया	सदस्य
11.	श्री गौरव सिंह	श्री अवधेश सिंह	श्री राम विहार कालोनी, वलिया	सदस्य
12	डॉ. विजय यादव	स्व. राम करन यादव	सिघौना, रामपुर, गाजीपुर	सदस्य
.13.	डॉ. वृजभान सिंह बघेल	स्व. रामानन्द सिंह	मड़ई, इन्दौर, गाजीपुर	सदस्य
14.	डॉ. राकेश सिंह	स्व. अमरदेव सिंह	ग्रा. –मलप पो. हरसेनपुर, बलिया	सदस्य
15.	श्री विनोद कुमार सिंह	स्व. इन्द्रासन सिंह	ग्रा. व पो. –नवापुरा, बलिया	सदस्य
16.	श्रीमती गीता सिंह	स्व. यमुना सिंह	– जगदीशपुर, जगदीशपुर, बलिया	सदस्य
17.	डॉ.श्रीरंग नाथ मिश्र	स्व. बालेश्वर मिश्र	ग्रा.– पाण्डेयपुर पो. ताखा बलिया	सदस्य
18.	श्री विजय बहादुर सिंह	स्व. अम्बिका सिंह	ग्रा. व पो. – नवापुरा, बलिया	सदस्य
19.	श्री लाल जी यादव	स्व. फौजदार यादव	झोटारी, धामुपुर, गाजीपुर	सदस्य
20.	श्री फौजदार सिंह	स्व. शिव प्रसाद सिंह	ग्रा. व पो. – गहजी, आजमगढ़	सदस्य
21.	श्री काशी नाथ यादव	स्व. देवराज यादव	ग्रा. व पो. – आशावर, गाजीपुर	सदस्य
22.	श्री रविशंकर सिंह	श्री गिरजा शंकर सिंह	ग्रा. व पो. इब्राहिम पट्टी, बलिया	सदस्य
23.	श्री उमेश सिंह	स्व. सूरज सिंह	ग्रा.व पो. मिड्डा, बलिया	सदस्य
24.	डॉ राम कुमार सिंह	स्व. वृन्दा सिंह	ग्रा.व पो. सुल्तानीपुर,रसड़ा बलिया	सदस्य
25.	अरविन्द कुमार चौरसिया	स्व. श्रीकान्त चौरसिया	ग्रा. व पो. सरायभारती बलिया	सदस्य

ट्रस्ट बोर्ड की कार्यवाही या निर्णय, ट्रस्ट बोर्ड के बैठक के बहुमत के आधार पर पारित प्रस्तावों के अनुरूप सुनिश्चित किये जायेगें। ट्रस्ट बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार या आवश्यकतानुसार आहूत एवं सम्पन्न किया जायेगा। ट्रस्ट बोर्ड की बैठक प्रवंधक/सचिव द्वारा आहूत की जायेगी तथा निम्न के अनुरूप सम्पन्न किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455204

1. बैठक – (1) सामान्य बैठक	:	बोर्ड की सामान्य बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबंधक/सचिव द्वारा आहूत की जायेगीं
(2) विशेष बैठक	:	किसी एक कार्य विशेष हेतु अध्यक्ष या प्रबंधक/सचिव द्वारा या 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, प्रबंधक/सचिव द्वारा विशेष बैठक आहूत की जायेगी।
2. बैठक के लिए नोटिस	:	बैठक के लिए नोटिस प्रबंधक/सचिव द्वारा सभी सदस्यो के अन्तिम ज्ञात पते पर, डाक से प्रेषित की

Knsugh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455205

जायेगी । सामान्य बैठक के लिए सूचना बैठक से दस दिन पूर्व तथा विशेष बैठक हेतु बैठक से चार दिन पूर्व प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि समय तथा कार्यसूची का उल्लेख होना आवश्यक है।

3. गणपूर्ति तथा स्थगनोपरान्त बैठक : सामान्य बैठक के लिए सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति तथा विशेष बैठक हेतु सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में, गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी। बैठक के निर्धारित समय के आधे घण्टे पश्चात् तक यदि गणपूर्ति पूर्ण नहीं होती तो ऐसी बैठक गणपूर्ति के अभाव में अध्यक्ष द्वारा स्थगित (Adjourned) घोषित किया जायेगा। स्थगित (Adjourned) बैठक उसी दिवस किसी समय या अन्य किसी दिवस, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा बैठक के स्थगित (Adjourned) किये जाने के घोषणा के साथ ही, घोषित किया जावे, सम्पन्न की जा सकती है। ऐसे स्थगित (Adjourned) बैठक हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु अध्यक्ष तथा प्रबंधक/सचिव के अतिरिक्त तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हे। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बैठक के वही

KNSunil

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455206

विषय विचारणीय होंगे जो कि स्थगित(Adjourned बैठक के थे।

4. आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति : ट्रस्ट बोर्ड में किसी सदस्य या पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने की स्थिति में, ट्रस्ट बोर्ड द्वारा रिक्त स्था की पूर्ति की जायेगी। रिक्त स्थान के प्रति चयनित व्यक्ति, ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी के शेष कार्यकाल हेतु, जैसी स्थिति हो, सदस्य या पदाधिकार रहेगा।

5. बैठकों के कार्य संचालन की प्रकिया :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष ए उपाध्यक्ष दोनों की ही अनुपस्थिति में, बैठक विशे हेतु उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक के संचालन हेत् एक सभापति का मनोनयन किया जायेगा।
2. बैठक में विचारार्थ संकल्प या प्रस्ताव, सदस्यों द्वार सचिव/प्रंधक को प्रेषित किया जायेगा, जो कि अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को भेजे जाने वाल कार्यसूची में सम्मिलित करेगा।
3. कोई भी विषय जो बैठक की कार्यसूची में सम्मिलि न हो, अध्यक्ष/ सभापति की अनुज्ञा से बैठक में विचारार्थ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455207

लिया ज़ा सकता है। यदि वह विशेष या स्थगित (Adjourned) बैठक न हो तो।

4. प्रत्येक बैठक में उसके कार्य के प्रथम मद में पिछली बैठक की कार्यवृत्त पढ़ा जायेगा तथा उसकी पुष्टि की जायेगीं। कार्यवृत्त की शुद्धता के सम्बंध में केवल उसी सदस्य द्वारा आपत्ति की जा सकती है जो पिछली बैठक में उपस्थित रहा है। आपत्ति का नियर्णय अध्यक्ष/सभापति द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगां कार्यवृत्त के पुष्टि के पश्चात् उसकी शुद्धता पर आपत्ति नहीं की ज़ा सकती है।

5. किसी संकल्प को देने वाले सदस्य की अनुपस्थिति में अध्यक्ष/सभापति द्वारा उसे किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जा सकीती है जो कि बैठक में उपस्थित हो तथा ऐसा किये जाने हेतु सहमत हो।

6. मतभेद होने की दशा में निण्रय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। परन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति, बोर्ड के चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय, सदस्यता की समाप्ति या अविश्वास प्रस्ताव, वित्तीय दायित्व वाले

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455208

संकल्प, उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ही पारित किये जायेंगे।

7. किसी संकल्प पर बराबर मत होने की की स्थिति में अध्यक्ष/सभापति को द्वितीय मत (Casting Vote) देने का अधिकार होगा।

6. ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार व कर्त्तव्यः

(क) कार्यकारिणी का गठन करना।

(ख) बोर्ड के लिए आय के स्रोत उपलब्ध करना, कराना।

(ग) बोर्ड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करना, कराना।

(घ) शिक्षण/चिकित्सकीय कालेजों/तकनीकी/संस्थान/केन्द्र/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार चल/अचल सम्पत्तियों के कय/विक्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

(ङ) बजट का प्रारूप तैयार करना।

(च) कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखना तथा बोर्ड के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जाने हेतु मार्ग–दर्शन एवं दिशा–निर्देश।

(छ) आपत्तिक स्थितियों में कार्यकारिणी को भंगकर, नवीन निर्वाचन सम्पन्न कराना।

Kusmi

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455209

(ज) बजट स्वीकृत करना।

(झ) स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना तथ कार्य करना।

(ञ) बोर्ड के कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन करना।

(ट) चयन समिति के संस्तुति पर, कर्मचारियों के नियुक्त हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

(ठ) कर्मचारियों के अवकाश, दण्ड, सेवा–समाप्ति, वेतनवृद्धि आदि पर विचारण एवं निर्णय।

(ड) ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/केन्द्रों के प्रबंधन के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन करना।

(ढ) संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना।

7. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

(अ) अध्यक्ष :

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना तथा परिवर्तन या स्थगित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455210

3. बैठक की कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही तथा आवश्यकतानुसार कार्यसूची में परिवर्तन।
4. संस्था से सम्बन्धित समस्त अनुबंधों, संस्था के चल–अचल सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानान्तरण तथा संविदा के समस्त विलेखों तथा अन्य लेखों पर सचिव/प्रबंधक के साथा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।
5. स्वीकृत की प्रत्याशा में रू0 5000/– तक की धनराशि व्यय किये जाने हेतु सचिव/प्रबंधक को आज्ञा देना।

(ब) उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

(स) सचिव/प्रबंधक :

1. बोर्ड के पक्ष में समस्त दान, अनुदान, चन्दा शुल्क या धन प्राप्त करना तथा यथाविधि रसीद निर्गत करना।
2. बजट में की गयी व्यवस्था के अनुरूप संस्था के वित्त का प्रशासन तथा नियंत्रण करना।
3. कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के समस्त लेखों का संचालन करना तथा उसके वार्षिक लेखा परीक्षण का प्रबन्ध करना।

Kusumil

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455215

4. अध्यक्ष / कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के बैंक खातों का संचालन / परिचालन करना।
5. बोर्ड / संस्था के कर्मचारियों के वेतन तथा देय धनराशियोंका भुगतान स्वीकृत करना और कोषाध्यक्ष के सुझाव पर बोर्ड / संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यय, अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों का भुगतान स्वीकृत करना।
6. बोर्ड / संस्था से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों तथा संस्था की चल– अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित स्थानान्तरण एवं संविदा के समस्त विलेखों तथा अन्य लेखों पर अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर
7. वार्षिक बजट तैयार करना और बैठकों में उसे रखे जाने हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।
8. वार्षिक बजट रिपोर्ट तैयार करना।
9. अध्यक्ष के अनुमोदन से सभी प्रकार के बैठक आहूत करना, सदस्यों को नियमानुसार बैठक की सूचना प्रेषित करना, बैठक सम्पन्न किये जाने हेतु व्यवस्था करना तथा बैठक की कार्यवाही अंकित करना।
10. बोर्ड / संस्था सम्बन्धी अभिलेखों को संरक्षित, सुरक्षित रखना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BN 455211

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11. बोर्ड / संस्था की स्वीकृत की प्रत्याशा में, अध्यक्ष की अनुज्ञा से रू0 5000 /– तक की धनराशि व्यय किया जाना।
12. बोर्ड / संस्था की निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
13. बोर्ड / संस्था के पक्ष से समस्त पत्र व्यवहार करना।

(द) उपप्रबन्धक / उपसचिव : सचिव / प्रबन्धक के अपने कर्त्तवयों के पालन करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में या प्रबन्धक / सचिव द्वारा लिखित रूप से विशिष्टतया प्रतिनिहित किये जाने पर, प्रबन्धक के रूप में कार्य करना।

(य) कोषाध्यक्ष :

1. बोर्ड / संस्था के समस्त निधियों तथा धनराशियों के लेखे रखना।
2. प्रबन्धक / सचिव के साथ संयुक्त रूप से बोर्ड के सभी लेखों को संचालित करना एवं संरक्षित रखना।
3. प्राधिकृत व्यय के लिए भुगतान किये जाने वाले धनराशियों के सम्बंध में , प्रबंधक / सचिव को सुझाव देना।
4. लेखा परीक्षण हेतु समस्त लेखों कों, लेखा–परीक्षक को प्रस्तुत करना तथा लेखा–परीक्षण करना।

Knsnil

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 455212

5. वास्तविक आय तथा व्यय का वार्षिक विवर तैयार करना तथा लेखा परीक्षण आख्या के लिए उसे सचिव/प्रबंधक को प्रस्तुत करन

8. बोर्ड की निधियॉ : बोर्ड/संस्था के समस्त निधि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में, प्रबन्धक/सचिव, अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के पदनाम से संयुक्त खात खोलकर, सुरक्षित रखा जायेगा। संस्था के बैंक खाते का परिचालन प्रबंधक/सचिव, अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों को यह अधिकार होगा कि वे आपसी सहमति से इस ट्रस्ट डीड/नियुक्ति पत्र में आवश्यतानुसार संशोधन, परिवर्तन कर देवें या ट्रस्ट डीड/नियुक्ति पत्र निरस्त कर नया ट्रस्ट डीड लिख देवें।

यदि ट्रस्ट के पास पर्याप्त साधन और स्रोत हो जावें ता ट्रस्ट को यह अधिकार हो कि इन्द्रसन मेमोरियल जनसहयोग कालेज, नवापुरा जनपद बलिया के अतिरिक्त अन्य तकनीकी, प्रबन्धन संस्थान केन्द्र या अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आई0 टी0 आई0, पालीटेक्निक कालेज, या अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों मे वृद्धि कर ट्रस्ट को और अधिक कियाशील, वहुआयामी तथा व्यापक प्रचार प्रसार वाला स्वरूप प्रदान करें। चिकित्सकीय, तकनीकी संस्थान केन्द्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना एवं संचालन हेतु ट्रस्ट बोर्ड को आवश्यकतानुसार चल–अचल सम्पत्तियों के कय/विकय अधिकार होगा। वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5000 के अतिरिक्त कोई चल अचल सम्पति नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BN 455213

हमारे मर्णोपरान्त हमारे पुत्र विनय कुमार सिंह पुत्र डॉ0 काशी नाथ सिंह इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होगें।

यह ट्रस्ट नियुक्ति पत्र अपनी स्वेच्छा से लिखकर रजिस्ट्री करा दिय जा रहा है ताकि वक्त जरूरत पर काम आवें।

Kusnjh 9415222258

गवाह का नाम

1. श्री राम केवल गुप्त पुत्र स्व. विशुनी प्रसाद
   ग्राम –पोस्ट नवापुरा, बलिया 9621141949

राम केवल प्रसाद

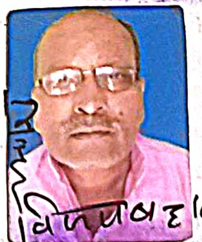

2. विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व0 अम्बिका सिंह
   ग्राम व पोस्ट– नवापुरा, बलिया
   9454166328

विजयबहादुर सिंह

टाइपकर्ता मनीषकुमार

तैयारकर्ता ....

लल्लनप्रसाद 12 2018ई0

वकील का नाम व पता मणीन्द्र कुमार तिवारी एडवोकेट रसड़ा

लल्लनप्रसाद